क्रम संख्या–13

संख्या 815/43–2—2000–14/2(51)-98

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2000

प्रिय महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

आप अवगत होंगे कि प्रशासन की उपादेयता में वृद्धि के लिए शासन द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये हैं जिसमें से विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय का निरीक्षण एवं अनुश्रवण भी सम्मिलित है। विदित हो कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर अनेक शासनादेश भी जारी किये जाते रहे हैं।

2—शासन इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील है कि जनता को उसकी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु फील्ड कार्यालयों में प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण की समयबद्ध व्यवस्था एवं तदुपरान्त अनुश्रवण की व्यवस्था आवश्यक है, परन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये निरीक्षण कार्यालयों में कुशलता एवं दक्षता तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब निरीक्षणों में पायी गयी अनियमितताओं का तुरन्त निराकरण किया जाये तथा भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न होने दी जाये। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभागाध्यक्ष बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करें ताकि सही तथ्य सामने आ सके।

3—विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण किये जाने के परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ विभाग के कार्यों में गतिशीलता आयेगी वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा प्रदेश को स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन देने की संकल्पना भी पूर्ण होगी।

4—अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों का समयबद्ध निरीक्षण करेंगे तथा अनुश्रवण की व्यवस्था भी करेंगे और अगर अनुश्रवण में कोई शिकायत उचित प्रतीत होती है तो उस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कृपया उक्त निरीक्षण, अनुश्रवण और प्रभावी कार्यवाही को एक समयबद्ध कार्यक्रम का रूप दिया जाये तथा इन आदेशों का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।